0

विधि न्याय और कल्पनी कार्य मतालय



## जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969

(1969 का अधिनियम संख्यांक 18)

[ 1 करवरी, 1993 को यथाविद्यमान]

The Registration of Births and Deaths Act, 1969

(Act No. 18 of 1969)

| As on the 1st February 1993. |

1993

प्रवन्धकः भारत सरकार मुद्रणालयः नासिक द्वारा मृद्रित तथा प्रकाशन-नियंतक, भारत सरकारः सिविल लाइन्स, दिल्ली-110 054 द्वारा प्रकाशित ।

मुल्य: (देश में) रु. 4.00 (विदेश में) 0.47 पींड तथा । डालर 44 सेटस

#### PREFACE TO THE FIRST EDITION

This is a diglot edition of the Registration of Births and Deaths Act, 1969, as on the 1st November, 1970, containing the authoritative Hindi text thereof along with its English text. The Hindi text of the Act was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 1A, No. 53, Vol. V. dated 27th December, 1969 on pages 565 to 578.

This Hindi text was prepared by the Official Language (Legislative). Commission and it was published under the authority of the President under section 5(1) of the Official Languages Act, 1963 and on such publication, it became the authoritative text of that Act in Hindi.

NEW DELHI;
1ST NOVEMBER, 1970.

ONLY FOR REFERENCE

Community Health Cell
Library and Documentation Unit
BANGALORE


'AMBOODIŘIPAD.

Government of India.

#### PREFACE TO THE THIRD EDITION

As all the copies of the second diglot edition of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (18 of 1969) have been sold the third edition is being published, incorporating the amendments made in it till 1st February, 1993. The present edition also gives legislative history of the Act.

NEW DELHI; 1st Perruary, 1993 . K. L. MOHANPURIA,
Secretary to the Government of India



FOR REFERENCE DNLY

ONLY FOR

#### प्रथम संस्करण का प्राक्कथन

यह 1 नवस्वर, 1970 को वधाविद्यमान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 को दिभाषीय संस्करण है। इसमें अधिनियम को प्राधिकृत हिन्दी पाठ, उसके अंग्रेजी पाठ सहित, दिया है। अधिनियम का हिन्दी पाठ तर्पाय 27 दिसम्बर, 1969 के भारत के राजपत, असाधारण, भाग 2, अनुभाग 1क, संख्यांक 53, खण्ड V में पृष्ठ 565 से 578 में प्रकाणित हुआ था ।

्स हिन्दी पाठ को राजभाषा (विधायी) आयोग ने तैयार किया था और यह राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5(1) के अधीन राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाणित हुआ और इस प्रकार प्रकाणित होते हो, उस अधिनियम का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ बन गया ।

नई दिल्ली;

1 नवम्बर, 1970

एम० डी० पी० नम्बूबिरिपाद संयुक्त सचिव, मारत सरकार ।

#### त्तीय संस्करण का प्राक्कथन

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का अधिनियम संख्यांक 18) के द्वितीय हिंभाषीय संस्करण की प्रतियां विक गई हैं इसलिए इसका तृतीय संस्करण प्रकाणित किया जा रहा है। प्रस्तुत पाठ में 1 फरवरी, 1993 तक के मभी संगोधनों का समावेण कर दियां गया है। इस संस्करण में अधिनियम का विधायी इतिहास भी दिया गया है।

नई दिल्ली;

। फरवरी, 1993

के० एल० मोहनपुरिया, सर्विव, भारत सरकार।

#### AMENDING ACT

The Delegated Legislation Provisions (Amendment) Act, 1985 (4 of 1986).

#### LIST OF ABBREVIATIONS USED

Ins.					fo	r Inserted.
s.						Section.
w.c.l						with effect from

#### संशोधन अधिनियम

प्रत्यायोजित विधान उपवेध (संशोधन) अधिनियम, 1985 (1986 का 4) ।

संक्षेपाक्षर

संख्यांक (नम्बर)।

# THE REGISTRATION OF BIRTHS AND DEATHS ACT, 1969

#### ARRANGEMENT OF SECTIONS

#### CHAPTER 1

#### PRELIMINARY

#### SECTIONS

- 1. Short title, extent and commencement
- 2. Definitions and interpretation.

#### CHAPTER II

#### REGISTRATION-ESTABLISHMENT

- 3. Registrar-General, India.
- 4. Chief Registrar.
- 5. Registration divisions.
- 6. District Registrar.
- 7. Registrars.

#### CHAPTER 1H

#### REGISTRATION OF BIRTHS AND DEATHS

- 8. Persons required to register births and deaths.
- 9. Special provision regarding births and deaths in a plantation.
- 10. Duty of certain persons to notify births and deaths and to certify cause of death.
- 11. Informant to sign the register.
- 12. Extracts of registration entries to be given to informant.
- 13. Delayed registration of births and deaths.
- 14. Registration of name of child,
- 15. Correction or cancellation of entry in the register of births and deaths.

# जन्म ग्रौर मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969

		10.0		
4	1	अा	का	<b>F.H.</b>

	अध्य	ाय ।							
	प्रार्रा	म्भक							
भाराए									78
ा. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्म									•
ः साकार्या नामः विशास आर् आर्माः थः परिभाषाए और निर्वचन									1
उ. पारकाषाए जार ।गवधन									ı
	अध	वाव 2							
	रजिस्ट्रीक	रण-स्थ	1पन						
	,								
3 भारत का महारिकश्हार		•			•				2
४ मुख्य रजिस्द्वार					•				2
<ol> <li>रिजिस्ट्रीकरण खंड</li> </ol>						•			2
६ जिला रजिस्ट्रार				•					2
7. रजिस्ट्रार			•	•	•	•			2
	अध्याध								
जन्म अँ	रि मृत्यु	का र	जस्ट्रीव	र <b>ण</b>					
<ol> <li>जन्म और मृत्युका ५ जिस्ट्री करण कराने</li> </ol>	के लिए अ	विक्षित र	व्यक्ति।				-	1 3	3
9. वागान में जन्म और मृत्यु के संबंध में								0 00	3
10. जन्म और मृत्य की सबना देने और मृत्य के			न करने	का कुछ	व्यक्तियो	का कर्त	<b>Б</b> 4 .		4
11. इतिला देने वाले कः रजिस्टर पर हस्ता									.1
12. इलिटा देने वाले व। रजिस्ट्रीकरण की प्र		के उद्धर	या का f	दरा जा	ना .	3,33			4
13. जन्म और मृत्य का विलिम्बित रजिस्द्रीक				-			1		4
14. वालक के नाम का रिजरहीकरण .		-				1	1	-	- 4

जन्म और मृत्यु के रजिस्टर में प्रविध्ट को ठीक या रह करना

#### CHAPTER IV

#### MAINTENANCE OF RECORDS AND STATISTICS

#### SECTIONS

- 16. Registrars to keep registers in the prescribed form.
- 17. Search of births and deaths register.
- 18. Inspection of registration offices.
- 19. Registrars to send periodical returns to the Chief Registrar for compilation.

#### CHAPTER V

#### MISCELLANEOUS

- 20. Special provision as to registration of births and deaths of citizens outside India.
- 21. Power of Registrar to obtain information regarding birth or death.
- 22. Power to give directions.
- 23. Penalties.
- 24. Power to compound offences.
- 25. Sanction for prosecution.
- 26. Registrars and Sub-Registrars to be deemed public servants.
- 27. Delegation of powers.
- 28. Protection of action taken in good faith.
- 29. Act not to be in derogation of Act 6 of 1886.
- 30. Power to make rules.
- 31. Repeal and saving.
- 32. Power to remove difficulty.

#### धाराओं का क्रम

#### अध्याय 4

#### अभिलेखों और सांख्यिकियों को रखना

गराएं						9	ष्ठ
16.	विहित प्ररूप में रजिस्टरों का रजिस्ट्रारों द्वारा रखा जा	नः					5
17.	जन्म और मृत्यु के रजिस्टर की तलाणी						5
18.	रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों का निरीक्षण						5
19.	कालिक विवरणियों का रजिस्ट्रारों द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार को स	पंकलन व	हे लिए भे	ना जाना			5

#### अध्याय 5

#### प्रकीर्ण

20.	भारत से बाहर नःगरिका	के जन्म अं	र मृत्यु	के रजिस्ट्र	ीकरण वं	बारे में	विशेष उ	पवन्ध	•		5
21.	जन्म या मृत्यु के संबंध	में इत्तिला	अभिप्राप	त करने	की रजि	द्रार को	शक्ति				6
22.	निदेश देने की शक्ति										6
23.	शास्तियां										6
24.	अवराधों के प्रशमन की	शक्ति				•					6
25.	अभियोजन के लिए मंज्	री .			•						в
26.	रजिस्ट्रारों और उपरजिस	ट्रारों का लो	क सेवक	समझा ज	ाना				•		6
27.	शक्तियाँ कः प्रत्यायोजन										6
28.	सद्भावपूर्वक की गई क	रिवाई के लि	ए परिक	गण							6
29.	इस अधिनियम का 188	6 के अधिनि	नयम संख	यांक 6 वे	अल्पीक	रण में न	होना				7
30.	नियम बनाने की शक्ति								•		7
31.	निरसन और व्यावृत्ति	•			•						7
32.	मिंठिनाई दर करने की	शक्ति				1			-	10 10	7

# THE REGISTRATION OF BIRTHS AND DEATHS ACT, 1969

(ACT No. 18 OF 1969)

[31st May, 1969]

An Act to provide for the regulation of registration of births and deaths and for matters connected therewith.

Be it enacted by Parliament in the Twentieth Year of the Republic of India as follows:-

#### CHAPTER I

#### PRELIMINARY

- 1. Short title, extent and commencement—(1) This Act may be called the Registration of Births and Deaths Act, 1969.
  - (2) It extends to the whole of India.
- (3) It shall come into force in a State on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different parts of a State.

- 2. Definitions and interpretation—(1) In this Act, unless the context otherwise requires.
  - (a) "birth" means live-birth or still-birth;
- (b) "death" means the permanent disappearance of all evidence of life at any time after live-birth has taken place;
- (c) "local death" means absence of all evidence of life prior to the complete expulsion or extraction from its mother of a product of conception irrespective of the duration of pregnancy:
- (d) "live-birth" means the complete expulsion or extraction from its mother of a product of conception, irrespective of the duration of pregnancy, which, after such expulsion or extraction, breathes or shows any other evidence of life, and each product of such birth is considered live-born;
  - (e) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act.
  - (f) "State Government", in relation to a Union territory, means the Administrator thereof:
- (g) "still-birth" means foetal death where a product of conception has attained at least the prescribed period of gestation.
- (2) Any reference in this Act to any law which is not in force in any area shall, in relation to that area, be construed as a reference to the corresponding law, if any, in force in that area.

<sup>1.</sup> See page 8 at the end of the book.

### जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969

(1969 का अधिनियम संख्यांक 18)

[ 3-1 मई, 1969 |

जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के विनियमन और तत्संबद्घ विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के बीसवे वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो --

अध्याय ।

#### प्रारम्भिक

- ा. **संक्षि**प्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ~~ ( । ) यह अधिनियम जन्म और मृत्ये रजिस्ट्रीकरण अधिनियम. ३५६७ कहा जा. सकेगा ।
  - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।
- (3) यह किसी राज्य में उस तारीख<sup>ा</sup> को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, श(सकीय राजपत्र में अधिमूचना दारा नियत करें :

परन्तु किसी राज्य के विभिन्न भागों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेगी।

- 2. परिभाषाएं और निर्वचन--( ) इस अधिनियम में, जब तक कि सदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--
  - (क) "जन्म" से जीवित-जन्म या मृत-जन्म अक्षिप्रेत हैं :
- (ख) "मृत्यु" से जीवित-जन्म हो जाने के पण्चात् किभी भी समय जीवन के सब लक्षणों का स्थायी ताँर पर विलोगन अभिन्नेत है ;
- (ग) ंश्रण-मृत्युं से गर्भाधान के उत्पाद का गर्भ चाहे जितने समय का हो, अपनी माता से पूर्ण निष्कासन या कि अर्थण से पूर्व जीवन के सब लक्षणों का अभाव हो जाना अभिन्नेत हैं .
- (घ) 'जे।वित-जन्म' से गर्भाधान के ऐसे उत्पाद का, गर्भ चाहे जितने समय के हो. अपनी माता से पूर्ण जिल्लासन या निष्कर्षण अधिप्रेत है, जो ऐसे निष्कासन या निष्कर्षण के पश्चात् ण्वास लेता है,या जीवन का कोई अन्य लक्षण दिशात करता है और ऐसे जन्म वाला प्रत्येक उत्पाद जीवित-जात समझा जाता है;
  - (ङ) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है :
  - (च) किसी सघ राज्यक्षेत के सर्वध में 'राज्य सरकार' से उसका प्रशासक अभिष्रेत है;
- (छ) ''मृत-जन्म'' से ऐसी अूण-मृत्यु अभिग्रेत है जहां गर्भाधान कः उत्पाद कम से कम विहित गर्भावधि प्राप्त कर चका है।
- ( ८) इस अधिनियम में किसी ऐसी विधि के प्रति. जो किसी क्षेत्र में प्रवृत्त नहीं है. निर्देश को उस क्षेत्र के सबय में यह अबं लगाया जाएगा कि यह उस क्षेत्र में प्रवृत तत्स्थानी विधि के प्रति, यदि कोई हो, निर्देश है ।

ः पुरताः के अन्त में पन्छ ह देखिए ।

#### CHAPTER II

#### REGISTRATION-ESTABLISHMENT

- 3. Registrar-General, India—(1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint a person to be known as the Registrar-General, India.
- (2) The Central Government may also appoint such other officers with such designations as it thinks fit for the purpose of discharging, under the superintendence and direction of the Registrar-General, such functions of the Registrar-General under this Act as he may, from time to time, author-rise them to discharge.
- (3) The Registrar-General may issue general directions regarding registration of births and deaths in the territories to which this Act extends, and shall take steps to co-ordinate and unify the activities of Chief Registrars in the matter of registration of births and deaths and submit to the Central Government an annual report on the working of this Act in the said territories.
- 4. Chief Registrar—(1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint a Chief Registrar for the State.
- (2) The State Government may also appoint such other officers with such designations as it thinks fit for the purpose of discharging, under the superintendence and direction of the Chief Registrar, such of his functions as he may, from time to time, authorise them to discharge.
- (3) The Chief Registrar shall be the chief executive authority in the State for carrying into execution the provisions of this Act and the rules and orders made thereunder subject to the directions, if any, given by the State Government.
- (4) The Chief Registrar shall take steps, by the issue of suitable instructions or otherwise, to co-ordinate, unify and supervise the work of registration in the State for securing an efficient system of registration and shall prepare and submit to the State Government, in such manner and at such intervals as may be prescribed, a report on the working of this Act in the State alongwith the statistical report referred to in sub-section (2) of section 19.
- 5. Registration divisions—The State Government may, by notification in the Official Gazette, divide the territory within the State into such registration divisions as it may think fit and prescribe different rules for different registration divisions.
- 6. District Registrar—(1) The State Government may appoint a District Registrar for each revenue district and such number of Additional District Registrars as it thinks fit who shall, subject to the general control and direction of the District Registrar, discharge such functions of the District Registrar as the District Registrar may, from time to time, authorise them to discharge.
- (2) The District Registrar shall superintend, subject to the direction of the Chief Registrar, the Registration of births and deaths in the district and shall be responsible for carrying into execution in the district the provisions of this Act and the orders of the Chief Registrar issued from time to time for the purposes of this Act.
- 7. Registrars—(1) The State Government may appoint a Registrar for each local area comprising the area within the jurisdiction of a municipality, panchayat or other local authority or any other area or a combination of any two or more of them:

Provided that the State Government may appoint in the case of a municipality, panchayat or other local authority, any officer or other employee thereof as a Registrar.

(2) Every Registrar shall, without fee or reward, enter in the register maintained for the purpose all information given to him under section 8 or section 9 and shall also take steps to inform himself carefully of every birth and of every death which takes place in his jurisdiction and to ascertain and register the particulars required to be registered.

# अध्याय 2 रजिस्ट्रीकरण-स्थापन

- 3. भारत का महाश्विस्ट्रार--(1) केन्द्रीय सरकार, गामकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी व्यक्ति को भारत के महारजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त कर सकेगी।
- अधीन ऐसे कृत्यों के, जिनका निर्वहन करने के लिए वह उन्हें समय-समय पर प्राधिकृत करे, महारजिस्ट्रार के अधीयण और (2) केन्द्रीय सरकार, ऐसे अन्य अधिकारी भी, ऐसे पदनामों से, जैसे वह ठीक समझे, महारिजस्ट्रार के इस अधिनियम के मिदेशन के अधीन निवैहन करने के प्रयोजन के लिए, नियुक्त कर सकेगी।
- (3) महारजिस्ट्रार उन राज्यक्षेत्रों में, जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है, जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के **बारे** में माधारण निदेण जारी कर सकेगा और जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के विषय में मुख्य रजिस्ट्रारों के क्रियाकलाप के ममन्वय राज्यक्षेत्रों में इस अधिनियम के कार्यान्वयन विषयक वार्षिक रियोटे और एकीकरण के लिए कदम उठाएमा और उक्त सरकार की प्रस्तुत करेगा।
- 4. मुख्य रजिस्ट्रार---(1) राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी राज्य के लिए एक मुख्य रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी।
- (2) राज्य सरकार, ऐसे अन्य अधिकारी थी, ऐसे पदनामों से, जैसे बह ठीक समझे, मुख्य रजिस्ट्रार के ऐसे कृत्यों का, जिनका जिनका जिनेहन करते के लिए बह उन्हें समय-समय पर प्राधिकृत करें, मुख्य रजिस्ट्रार के अधीसण और निदेशन के अबीन निबंहन करने के प्रयोजन के लिए, नियुक्त कर सकेगी।
- (3) राज्य सरकार द्वारा दिए गए निदेशों के, यदि कोई हों, अध्यधीन रहते हुए भुख्य रजिस्ट्रार किसी राज्य में इस अधि-नियम के उपबन्धों और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के निष्पांदन के लिए मुख्य कार्यपालक प्राधिकारी होगा।
- मिकाल कर या अय्था रजिस्ट्रीकरण की दक्ष पद्वति सुनिष्चित करने के लिए कदम उठाएगा तथा उस राज्य में इस अधिनियम के कार्यान्वयन के बारे में एक रिपोर्ट, ऐसी रीति से और ऐसे अन्तरालों पर, जिन्हें बिहित किया जाए, घारा 19 की उपदारा (2) (4) मुख्य रजिस्ट्रार राज्य में रजिस्ट्रीकरण के कार्य के समन्वय, एकीकरण और पर्यवेक्षण के लिए समुचित में निर्दिष्ट सांख्यिकीय रिपोर्ट के साथ तैयार करेगा और राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।
- रजिस्ट्रीकरण खण्डों में, जिन्हें वह ठीक समझे, विभक्त कर सकेगी और विभिन्न रजिस्ट्रीकरण खण्डों के लिए विभिन्न नियम विहित 5. रजिस्ट्रीकरण खंड---राज्य सरकार, शासकीय राजपत में अधिसूचना द्वारा, राज्य के भीतर के राज्यक्षेत्र को ऐसे
- 6. जिला रजिस्ट्रार (1) राज्य सरकार, प्रत्येक राजस्व जिले के लिए एक जिला रजिस्ट्रार और उतने अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी जितने वह ठीक समझे और जो जिला रजिस्ट्रार के साधारण नियंत्रण और निर्वेशन के अध्यक्षीन रहते हुए, जिला रजिस्ट्रार के ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेंगे जिनका निर्वहन करने के लिए जिला रजिस्ट्रार उन्हें समय-समय पर प्राधिकृत करे।
- (2) मुख्य रजिस्ट्रार के निदेशन के अध्यक्षीन रहते हुए, जिला रजिस्ट्रार जिले में के जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण का अधीक्षण करेगा तथा इस अधिनियम के उपबन्धों और मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए समय-समय पर निकाले गए आदेशों का निष्पादन जिले में करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- 7. रजिस्ट्रार--(1) राज्य सरकार नगरपालिका, पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकारी की अधिकारिता के भीतर का क्षेत्र समाविष्ट करने वाले प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र के लिए या किसी अन्य क्षेत्र के लिए या उनमें से दो या अधिक के समुच्चय के लिए रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी :

किसी परन्तु राज्य सरकार किसी नगरपालिका, पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकारी की दशा में उसके या अन्य कर्मचारी को रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

प्राप्त करने के लिए पूरी सावधानी से कदम उठाएगा तथा रजिस्ट्रीकरण के लिए अपेक्षित विशिष्टियों के अभिनिश्चयन और (2) प्रत्येक रजिस्ट्रार इस प्रयोजन के लिए रखे गए रजिस्टर में धारा 8 या धारा 9 के अधीन उसे दी गई इतिला, कीस या नाम के बिना दर्ज करेगा तथा अपनी अधिकारिता के भीतर होने वाले प्रत्येक जन्म और प्रत्येक मृत्यु के विषय में स्वयं जानकारी रजिस्ट्रीकरण के लिए भी कदम उठाएगा।

- (3) Every Registrar shall have an office in the local area for which he is appointed.
- (4) Every Registrar shall attend his office for the purpose of registering births and deaths on such days and at such hours as the Chief Registrar may direct and shall cause to be placed in some conspicuous place on or near the outer door of the office of the Registrar a board bearing, in the local language, his name with the addition of Registrar of Pirths and Deaths for the local area for which he is appointed, and the days and hours of his attendance.
- (5) The Registrar may, with the prior approval of the Chief Registrar, appoint Sub-Registrars and assign to them any or all of his powers and duties in relation to specified areas within his jurisdiction.

#### CHAPTER III

#### REGISTRATION OF BIRTHS AND DEATHS

- 8. Persons required to register births and deaths—(1) It shall be the duty of the persons specified below to give or cause to be given, either orally or in writing, according to the best of their knowledge and belief, within such time as may be prescribed, information to the Registrar of the several particulars required to be entered in the forms prescribed by the State Government under sub-section (1) of section 16.—.
  - (a) in respect of births and deaths in a house, whether residential or non-residential, not being any place referred to in clauses (b) to (e), the head of the house or, in case more than one household live in the house, the head of the household, the head being the person, who is so recognised by the house or the household, and if he is not present in the house at any time during the period within which the birth or death has to be reported, the nearest relative of the head present in the house, and in the absence of any such person, the oldest adult male person present therein during the said period:
  - (b) in respect of births and deaths in a hospital, health centre, maternity or nursing home or other like institution, the medical officer in charge or any person authorised by him in this behalf;
    - (c) in respect of births and deaths in a jail, the jailor in charge;
  - (d) in respect of births and deaths in a choultry, chattram, hostel, dharmasala, boarding-house, lodging-house, tavern, barrack, toddy shop or place of public resort, the person in charge thereof;
  - (e) in respect of any new-born child or dead body found deserted in a public place, the headman or other corresponding officer of the village in the case of a village and the officer in charge of the local police station elsewhere:

Provided that any person who finds such child or dead body, or in whose charge such child or dead body may be placed, shall notify such fact to the headman or officer aforesaid;

- (f) in any other place, such person as may be prescribed.
- (2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the State Government, having regard to the conditions obtaining in a registration division, may be order require that for such period as may be specified in the order, any person specified by the State Government by designation in this behalf, shall give or cause to be given information regarding births and deaths in a house referred to in clause (a) of sub-section (1) instead of the persons specified in that clause.
- 9. Special provision regarding births and deaths in a plantation—In the case of births and deaths in a plantation, the superintendent of the plantation shall give or cause to be given to the Registrar the information referred to in section 8:

Provided that the persons referred to in clauses (a) to (f) of sub-section (I) of section 8 shall furnish the necessary particulars to the superintendent of the plantation.

Explanation.—In this section, the expression "plantation" means any land not less than four hectares in extent which is being prepared for the production of, or actually produces, tea, coffee, pepper, rubber, cardamom, cinchona or such other products as the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify and the expression "superintendent of the plantation" means the person having the charge or supervision of the labourers and work in the plantation, whether called a manager, superintendent or by any other name.

- (3) प्रत्येक रजिस्ट्रार का कार्यालय उस स्थानीय क्षेत्र में होगा जिसके जिए बह मियुक्त किया गयों हो।
- सहजदुश्य स्थान पर एक बोर्ड लगवाएगा जिस पर उसको नाम तथा जिस स्थानीय क्षेत्र के लिए बह मियुक्त हो उसका जन्म और (4) प्रत्येक रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए अपने कार्यालय में ऐसे दिनों और ऐसे समयों पर, जिनका मुख्य रजिस्ट्रार निदेश दे, हाजिर रहेगा और रजिस्ट्रार के कार्यालय के बाहरी द्वार पर या उसके पास के किसी मृत्यु का रिजस्ट्रार तथा उसकी हाजिरी के दिन और घंटे स्थानीय भाषा में लिखे होंगे।
- (5) मुख्य रजिस्ट्रार के पूर्व अनुमोदन से रजिस्ट्रार अपनी अधिकारिता के विभिद्धिट क्षेत्रों के सम्बन्ध में उप-रजिस्ट्रार नियुक्त कर संकेगा और उन्हें अपनी कोई या सभी शक्तियां और कतंत्र्य सौप संकेगा।

# अध्याय 3 जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण

विधि। टियों की इसिला अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, ऐसे समय के भीतर, जो बिहित किया जाए, मौबिक जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण कराने के लिए अपेक्षित व्यक्ति—(1) नीने विनिदिट व्यक्तियों का यह कर्तव्य होगा कि वे धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित प्ररूपों में प्रविष्ट किए जाने के लिए अपेक्षित विभिन्न या लिखित रूप में रजिस्ट्रार को दें या दिलवाएं,-

- हुए जन्म और मृत्यु की वाबत, उस घर का ऐसा मुखिया, या यदि उस घर में एक से अधिक गृहस्यियां निवास करती हो तो उस गृहस्थी का ऐसा मुखिया, जो उस घर था गृहस्थी द्वारा मान्य मुखिया हो और यदि किसी ऐसी कालावधि के दौरान, जिसमें जन्म था मृत्यु की रिपोर्ट की जानी हो, किसी समय ऐसा व्यक्ति घर में उपस्थित न हो तो मुखिया का वह निकटतम संबंधी जो घर में उपस्थित हो और ऐसे किसी व्यक्ति की **अनुपरियति** में उक्त कालावधि के दौरान उसमें उपस्थित <mark>सबसे</mark> (क) खण्ड (ख) से (ङ) तक में निर्दिट स्थान से भिन्न किसी घर में, चाहे बह निवासीय हो या अनिवासीय, बड़ा वयस्य पुरुष ;
- (ख) किसी अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, प्रसूति था परिचयां गृह या वैसी ही किसी संस्था में जन्म या मृत्यु की बाबत, वहां का भारसाधक चिकित्सक अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति;
- (ग) जेल में जन्म या मृत्यु की बाबत, जेल का भारसाधक जेलर;
- (घ) किसी चावड़ी, छन्न, होस्टल, धर्मशाला, भोजनालय, बासा, पांयशाला वैरक, ताड़ीखाना या लोक अभिगम स्थान में जन्म या मृत्यु की बाबत, वहां का भारताधक व्यक्ति ;
- (ङ) लोक स्थान में अभित्यक्त पाए गए किसी नवजात शिशु या शव की बाबत, ग्राम की दशा में ग्रामणी या ग्राम का अन्य तत्स्थानी अधिकारी और अन्यक्ष स्थानीय पुलिस थाने का भारसाधक आफिसरः

परन्तु कोई व्यक्ति जो ऐसे शिशु या शव को पाता है या जिसके भारसाधन में ऐसा शिशु या शव रखा जाए, वह उस तथ्य को उस ग्रामणी या पूर्वोक्त अधिकारियों को सूचित करेगा

- (च) किसी अन्य स्थान में, ऐसा व्यक्ति जो विहित किया जाए।
- (2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार किसी रजिस्ट्रीकरण खण्ड में विद्यमान दशाओं का ध्यान में रखते हुए, आदेश द्वारा, यह अपेक्षित कर सकेगी कि ऐसी कालावधि के लिए, जो आदेश में विनिदिष्ट की जाए, उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट घर में जन्म और मृत्यु के सम्बन्ध में इत्तिला उस खण्ड में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के बजाय बह व्यक्ति देगा जो राज्य सरकार द्वारा पदनाम से इस निमित्त विनिदिष्ट किया गया हो।
- बागान में जन्म और मृत्यु के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध—किसी बागान में जन्म और मृत्यु की दशा में उस बागान का अधीक्षक घारा 8 में निर्दिष्ट इतिला रिजस्ट्रार को देगा या दिलवाएगा:

परन्तु धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (च) तक में निर्दिष्ट व्यक्ति उस बागान के अधीक्षक को आवश्यक

स्पष्टीकरण—इस धारा में "बागान" पद से बार हैक्टर से अन्यून विस्तार की ऐसी भूमि अभिप्रेत है जो बाय, काफी, काली मिर्च, रबड़, इलायची, सिनकोना या ऐसे अन्य उत्पादों को, जो राज्य सरकार, ग्रासकीय राजपत में अधिसूचना द्वारा, वितिदिवा करे, उपजाने के लिए तैयार की जा रही है या जिसमें ऐसी उपज बस्तुत: होती है तथा "बागान का अधीक्षक" पद से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो बागान के श्रमिकों या बागान के कार्य का भार या अधीक्षण रखता हो, चाहे वह प्रबन्धक, अभीक्षक या किसी अन्य नाम से पुकारा जाता हो।

- 10. Duty of certain persons to notify births and deaths and to certify cause of death—(1) It shall be the duty of—
  - (i) the midwife or any other medical or health attendant at a birth or death,
  - (ii) the keeper or the owner of a place set apart for the disposal of dead bodies or any person required by a local authority to be present at such place, or
  - (iii) any other person whom the State Government may specify in this behalf by his designation,

to notify every birth or death or both at which he or she attended or was present, or which occurred in such areas as may be prescribed, to the Registrar within such time and in such manner as may be prescribed.

- (2) In any area, the State Government, having regard to the facilities available therein in this behalf, may require that a certificate as to the cause of death shall be obtained by the Registrar from such person and in such form as may be prescribed.
- (3) Where the State Government has required under sub-section (2) that a certificate as to the cause of death shall be obtained, in the event of the death of any person who, during his last illness, was attended by a medical practitioner, the medical practitioner shall, after the death of that person, forthwith, issue without charging any fee, to the person required under this Act to give information concerning the death, a certificate in the prescribed form stating to the best of his knowledge and belief the cause of death; and the certificate shall be received and delivered by such person to the Registrar at the time of giving information concerning the death as required by this Act.
- 11. Informant to sign the register—Every person who has orally given to the Registrar any information required under this Actshall write in the register maintained in this behalf, his name, description and place of abode, and, if he cannot write, shall put his thumb mark in the register against his name, description and place of abode, the particulars being in such a case entered by the Registrar.
- 12. Extracts of registration entries to be given to informant—The Registrar shall, as soon as the registration of a birth or death has been completed, give, free of charge, to the person who gives information under section 8 or section 9 an extract of the prescribed particulars under his hand from the register relating to such birth or death.
- 13. Delayed registration of births and deaths—(1) Any birth or death of which information is given to the Registrar after the expiry of the period specified therefor, but within thirty days of its occurrence, shall be registered on payment of such late fee as may be prescribed.
- (2) Any birth or death of which delayed information is given to the Registrar after thirty days but within one year of its occurrence shall be registered only with the written permission of the prescribed authority and on payment of the prescribed fee and the production of an affidavit made before a notary public or any other officer authorised in this behalf by the State Government.
- (3) Any birth or death which has not been registered within one year of its occurrence, shall be registered only on an order made by a Magistrate of the first class or a Presidency Magistrate after verifying the correctness of the birth or death and on payment of the prescribed fee.
- (4) The provisions of this section shall be without prejudice to any action that may be taken against a person for failure on his part to register any birth or death within the time specified therefor and any such birth or death may be registered during the pendency of any such action.
- 14. Registration of name of child—Where the birth of any child has been registered without a name, the parent or guardian of such child shall within the prescribed period give information regarding the name of the child to the registrar either orally or in writing and thereupon the Registrar shall enter such name in the register and initial and date the entry.
- 15. Correction or cancellation of entry in the register of births and deaths—If it is proved to the satisfaction of the Registrar that any entry of a birth or death in any register kept by him under this Act is erroneous in form or substance, or has been fraudulently or improperly made, he may, subject to such rules as may be made by the State Government with respect to the conditions on which and the circumstances in which such entries may be corrected or cancelled, correct the error or cancel the entry by suitable entry in the margin, without any alteration of the original entry, and shall sign the marginal entry and add thereto the date of the correction or cancellation.

- 10. जन्म और मृत्यु की सूचना देने और मृत्यु के कारण को प्रमाणित करने का कुछ व्यक्तियों का कर्तव्य--(1) (i) जन्म या मृत्यु के समय उपस्थित दाई या किसी अन्य चिकित्सीय या स्वास्थ्य परिचारक का.
- (ii) णवों के व्ययन के लिए अलग कर दिए गए किसी स्थान के प्रविधक या स्वामी या ऐसे स्थान पर उपस्थित रहने के लिए स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित किसी व्यक्ति का, अधवा
- (iii) किसी अन्य व्यक्ति का. जिसे राज्य सरकार उसके पदनाम से इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक ऐसे जन्म या मृत्यु या दोनों की, जिसमे उसने परिचर्या की हो या वह उपस्थित था. या जो ऐसे क्षेत्र में, जैसा विहित किया जाए, हुई है, सुचना रजिस्ट्रार को इतने समय के भीतर और ऐसी रीति से दे जिसे विहित किया जाए।
- (2) किसी क्षेत्र में इस निभित्त प्राप्य मुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार यह अपेक्षा कर सकेगी कि मृत्य के कारण का प्रमाणपद्म, ऐसे व्यक्ति से आर ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, रिजस्ट्रार द्वारा अभिप्राप्त किया जाएगा।
- (3) जहां राज्य सरकार ने उपधारा (2) के अधीन यह अपेक्षा की हो कि मृत्यु के कारण का प्रमाणपद अभिप्राप्त किया जाए वहां उस व्यक्ति की मृत्यु की दणा में, जो अपनी अनिम बीमारी के दौरान किसी चिकित्सा-व्यवसायी की परिचर्या में था, उस व्यक्ति की मृत्यु के पण्चात तत्काल वह चिकित्सा-व्यवसायी कोई फीम लिए विना ऐसे व्यक्ति को, जो इस अधिनियम के अधीन किसी मृत्यु से संबद्ध इत्तिला देने के लिए अपेक्षित हो, मृत्यु के कारण के बारे में, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार कथन करते हुए, प्रमाणपत देगा, और ऐसा व्यक्ति वह प्रमाणपत्न प्राप्त करेगा और इस अधिनियम की अपेक्षानुसार मृत्यु से संबद्ध इत्तिला देते समय राजस्ट्रार को परिदन करेगा।
- 11. इतिला देने वाले का रिजस्टर पर हस्ताक्षर करना -- प्रत्येक व्यक्ति. जिसने रिजस्ट्रार को इस अधिनयम के अधीन अपेक्षित कोई इत्तिला मोखिक रूप में दी हो, इस निमित्त रखें गए रिजस्टर में अपना नाम, वर्णन और निवासस्थान तिखेगा तथा यदि वह लिख नहीं सकता है तो रिजस्टर में अपने नाम, वर्णन और निवास-स्थान के मामने अपना अगुष्ठ-चिह्न लगाएगा और ऐसी दशा में वे विशिष्टिया रिजस्ट्रार द्वारा लिखी जाएगी।
- 12. इतिला देने वाले को रजिस्ट्रीकरण की प्रविष्टियों के उद्धरणों का दिया जाना—जन्म या मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण पूर्ण होते ही, रजिस्ट्रार रजिस्टर में से उस जन्म या मृत्यु से सम्बद्ध विहित विशिष्टियों का अपने हस्ताक्षर सहित उद्घरण उस व्यक्ति को मुप्त देगा जिसने धारा 8 या धारा 9 के अधीन इत्तिला दी।
- 13. जन्म और मृत्यु का विलिम्बित रोजस्ट्रीकरण——(1) जिस जन्म या मृत्यु की इतिला तदये विनिर्दिष्ट कालाविध के अवसान के पण्चान्, किन्तु उसके होने के तीस दिन के भीतर, रिजस्ट्रार को दी जाए वह ऐसी विलम्ब-फीस, जो विहित की जाए, दिए जाने पर रिजस्ट्रीकृत की जाएगी।
- (2) जिस जन्म या मृत्यु की विलम्बित इतिला उसके होने के तीस दिन के पश्चात् किन्तु एक वर्ष के भीतर, रजिस्ट्रार को दी जाए वह विहित प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा से और बिहित फीस दिए जाने तथा नोटरी पब्लिक या राज्य सरकार द्वारा इस निमिक्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के समक्ष शपथित शपथ-पत्र के पेश किए जाने पर ही रजिस्ट्रीकृत की जाएगी।
- (3) जो जन्म या मृत्यु, होने के एक वर्ष के भीतर रिजस्ट्रीकृत नहीं की गई हो, वह उस जन्म या मृत्यु की शुद्धता का सत्यापन करने के पण्चात प्रथम वर्ष मिजिस्ट्रेट या प्रेसिक्षेत्रमी मिजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेश पर ग्रीर विहित फीस दिए जाने पर ही रिजस्ट्रीकृत की जाएगी।
- (4) इस धारा के उपबन्ध ऐसी किसी कार्यवाई पर कोई प्रतिकृत प्रभाव न डार्लेंगे जो किसी जन्म या मृत्यू का रजिस्ट्री-करण उसके लिए, विनिदिश्ट समय के भीतर कराने से किसी ज्यक्ति के असफल रहने पर उसके विरुद्ध की जा सकती हो और ऐसे किसी जन्म या मत्यु को ऐसी किसी कार्यवाई के लुध्वित रहते के दोरान रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेंगा।
- 14 बालक के नाम का रिजस्ट्रोकरण जहां किसी बालक का जन्म नाम के बिना रिजस्ट्रीकृत किया गया हो वहां ऐसे बालक की माना या पिता या सरक्षक बालक के नाम के सम्बन्ध में इत्तिला, या तो मोखिक या लिखित रूप में. रिजस्ट्रार को बिहित कालाबधि के भीतर देगा और तब रिजस्ट्रार ऐसे नाम की रिजस्टर में दर्ज करेगा और प्रविष्टि को आदक्षरित करेगा और उस पर तारील डालेगा।
- 15. जन्म और मृत्यु के रिजस्टर में प्रविध्धि को ठीक या रह करना—यदि रिजस्ट्रार को समाधान प्रदान करने वाले रूप में यह सावित कर दिया जाए कि इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा रखे गए रिजस्टर में जन्म या मृत्यु की कोई प्रविध्धि प्ररूपतः वा सारत एलत है अधवा कपटपूर्वक या अनुचिन तौर पर की गई है तो वह ऐसे नियमों के अध्यक्षीन रहते हुए जो राज्य सरकार द्वारा, ऐसी शर्तों की बाबत जिन पर श्रीर ऐसी परिस्थितियों की बाबत जिनमें ऐसी प्रविध्धि को ठीक या रह किया जा सकेगा, बनाए जाए, मूल प्रविध्धि में कोई परिवर्तन किए बिना पार्थ्य में यथीचित प्रविध्धि करके उस प्रविध्धि की एलती को ठीक कर सकेगा था उस प्रविध्धि को रह कर सबेगा तथा पार्थ्य प्रविध्धि पर अपने हस्ताक्षर करेगा थीर उसमें टीक या रह करने भी तारीख जोड़ देगा।

#### CHAPTER IV

#### MAINTENANCE OF RECORDS AND STATISTICS

- 16. Registrars to keep registers in the prescribed form-(1) Every Registrar shall keep in the prescribed form a register of births and deaths for the registration area or any part thereof in relation to which he exercises jurisdiction.
- (2) The Chief Registrar shall cause to be printed and supplied a sufficient number of register books for making entries of births and deaths according to such forms and instructions as may, from time to time, be prescribed; and a copy of such forms in the local language shall be posted in some conspicuous place on or near the outer door of the office of every Registrar.
- 17. Search of births and deaths register—(1) Subject to any rules made in this behalf by the State Government, including rules relating to the payment of fees and postal charges, any person may—
  - (a) cause a search to be made by the Registrar for any entry in a register of births and deaths; and
    - (b) obtain an extract from such register relating to any birth or death:

Provided that no extract relating to any death, issued to any person, shall disclose the particulars regarding the cause of death as entered in the register.

- (2) All extracts given under this section shall be certified by the Registrar or any other officer authorised by the State Government to give such extracts as provided in section 76 of the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872), and shall be admissible in evidence for the purpose of proving the birth or death to which the entry relates.
- 18. Inspection of registration offices—The registration offices shall be inspected and the registers kept therein shall be examined in such manner and by such authority as may be specified by the District Registrar.
- 19. Registrars to send periodical returns to the Chief Registrar for compilation—(1) Every Registrar shall send to the Chief Registrar or to any officer specified by him, at such intervals and in such form as may be prescribed, a return regarding the entries of births and deaths in the register kept by such Registrar.
- (2) The Chief Registrar shall cause the information in the returns furnished by the Registrars to be compiled and shall publish for the information of the public a statistical report on the registered births and deaths during the year at such intervals and in such form as may be prescribed.

#### CHAPTER V

#### MISCELLANEOUS

- 20. Special provision as to registration of births and deaths of citizens outside India—(1) The Registrar-General shall, subject to such rules as may be made by the Central Government in this behalf, cause to be registered information as to births and deaths of citizens of India outside India received by him under the rules relating to the registration of such citizens at Indian Consulates made under the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955), and every such registration shall also be deemed to have been duly made under this Act.
- (2) In the case of any child born outside Inclusion respect of whom information has not been received as provided in sub-section (1), if the parents of the child return to India with a view to settling therein, they may, at any time within sixty days from the date of the arrival of the child in India, get the birth of the child registered under this Act in the same manner as if the child was born in India and the provisions of section 13 shall apply to the birth of such child after the expiry of the period of sixty days aforesaid.

# अन्याय 4

# अभिलेखों और सांख्यिकियों को रखना

- भाग के लिए. जिसके सर्वध में वह अधिकारिता को प्रयोग करता हो, विहित प्ररूप में जन्म और मृत्यु का र्राजस्टर रखेगा । 16. विहित प्ररूप में रिजस्टरों का रिजस्ट्रारों द्वारा रखा जाना—(1)प्रृत्येक रिजम्ट्रार रिजस्ट्रोकरण नेत्र या उसके किसी
- प्रति प्रत्येक रजिन्द्रार के कार्यालय के बाह्य द्वार पर या उसके निकट <mark>किसी सहजदृश्य स्थान पर लगाई ज</mark>ाएगी । श्रविष्टियां करने के लिए पर्शन्त संस्था में रजिस्टर छपबाल्या और प्रदाय कराएगा; तथा ऐसे प्ररुपों की स्थानीय भाषा में एक (2) मुख्य रिजय्ट्रार ऐसे प्ररूपों और अनुरेगों के अनुमान, जो समय-समय पर विहित किए जाएं. राम पार मृत्यु की
- अध्यधीर रहते हुए, जिनके ब्रतमं त फीम क्रौर डाक-महसूल के संदाय में संबद्ध नियम भी है, कोई व्यक्ति-जन्म और शृत्यु के रिजस्टर की तलाशी——( । ) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए बिन्हीं
- जन्म श्रार मृत्यु के रजिस्टर की किशी प्रविद्धि की रजिस्ट्रार द्वारा तलाण करवा सकेगा; तथा
- (छ) ऐसे रजिस्टर में से किसी जन्म या मृत्यु से सम्बद्ध कोई उद्धरण अभिप्राप्त कर सबेगा :
- परन्तु किसी व्यप्ति को दिया गया मृत्यु संरोधी कोई उहारण, मृत्यु का रजिस्टर में प्रदिष्ट कारण प्रकट नहीं करेगा ।
- के उपबन्धों के अनुसार- रजिस्ट्रार झारा या किसी अन्ये ऐसे अधिकारी द्वारा, जिसे ऐसे उद्धरण देने के सिंग राज्य सरकार ने लिए साध्य में ग्राह्य होगे। प्राधिकृत किया हो, प्रमाणित किए जाएंगे प्रीर उस जन्म या मृत्यु को जिससे वह प्रविटि संबद्ध हो, सा का करने के प्रयोजन के ्स धारा के अधीन दिए सए सभी उटरण भारतीय साध्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 76
- 18. रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों का निरीक्षण ---रजिस्ट्रीकरण कीर्यालयों का निरीक्षण और उन्हें रहे गए रजिस्टरों की परीक्षा ऐसी रोति से, और ऐसे प्राधिकारी डार्गा जिसे जिला रजिस्ट्रोर वितिदिष्ट करे, किया जाएगा ।
- मुख्य रजिस्ट्रार को या उसके द्वारा विनिदिष्ट किसी अन्य अधिकारी को ऐसे अन्तरालों पर **श्रौर** ऐसे प्ररूप में, **जो विहिन किए** उस रजिन्द्रार हारा रखे गए रजिस्टर की जन्म श्रीर मृत्यु की प्रविद्यिं। के वारे में एक विवरणी मेजेगा। 19. कालिक विवरणियों का रिजस्ट्रारों द्वारा मुख्य रिजस्ट्रार को संकलन के लिए भेजा जाना--(1) प्रत्येक रिजस्ट्रार
- के लिए प्रकाणित करेगा। जन्म श्रौर मृत्यु की सांख्यिकीय रिरोर्ट ऐसे अन्तरालों पर श्रौर ऐसे प्ररूप में, जो बिहित किए जार, सर्वसाधारण की जानकारी ( º) मुख्य रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रारों हाथा विवरणियों में थे गई इनिला का संकलन कराएगा और वर्ष के दौरान रजिस्ट्रीकृत

# अध्याय 5

# प्रकीर्ण

- भो इस अधिनियम के अधीन सम्बक् रूप में किया गया समझा जाएगा। क्रीर भारतीय कीमल कार्यालयों में ऐसे नार्याका के रिजस्ट्रीकरण नवधी नियमों के अधीन प्राप्त के क्रीन प्रत्येक ऐसा रिजस्ट्रीकरण मत्यू विषयक ऐसी इतिया रिजिस्ट्रोक्केत कराएगा जो उसे नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 37) के अधीन <mark>बनाए गए</mark> धोन रहते हुए, थो केटीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, महारजिस्ट्रार भारत के नागरिकों के भारत से बाहर जन्म और 20. भारत से बाहर नागरिकों के जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के बारे में विशेष उपतन्ध---(!) उन नियमों के अध्य-
- जन्म भारत में हुआ ा श्रीर धारा ११ के उपरुष ऐमें बातक के जन्म को पूर्वोक्त माठ दिन की कालावधि के अवसान के पत्रचान तिन के भीतर किसी भी समय जातक का जन्म इस अधिनियम के अधीन उसी रीति से रजिस्ड्रेड्सिक <mark>करा सकेंगे सानो बालक का</mark> हुई हो, यदि बालक के माता-पिता. भारत में बसने की ट्रीट से भारत वापस आए तो वे बालक के भारत पहुंचने <mark>की तारीख से साठ</mark> ( 🖰 ) भागत में बाहर जन्मे ऐसे बालक की दशा में, जिसकी बाबत उपचारा ( ) में गण उपबंदित इतिला प्राप्त न

- 21. Power of Registrar to obtain information regarding birth or death—The Registrar may either orally or in writing require any person to furnish any information within his knowledge in connection with a birth or death in the locality within which such person resides and that person shall be bound to comply with such requisition.
- **22.** Power to give directions—The Central Government may give such directions to any State Government as may appear to be necessary for carrying into execution in the State any of the provisions of this Act or of any rule or order made thereunder.

#### 23. Penalties-(1) Any person who-

- (a) fails without reasonable cause to give any information which it is his duty to give under any of the provisions of sections 8 and 9; or
- (b) gives or causes to be given, for the purpose of being inserted in any register of births and deaths, any information which he knows or believes to be false regarding any of the particulars required to be known and registered; or
- (c) refuses to write his name, description and place of abode or to put his thumb mark in the register as required by section 11, shall be punishable with fine which may extend to fifty rupees.
- (2) Any Registrar or Sub-Registrar who neglects or refuses, without reasonable cause, to register any birth or death occurring in his jurisdiction or to submit any returns as required by sub-section (1) of section 19 shall be punishable with fine which may extend to fifty rupees.
- (3) Any medical practitioner who neglects or refuses to issue a certificate under sub-section (3) of section 10 and any person who neglects or refuses to deliver such certificate shall be punishable with fine which may extend to fifty rupees.
- (4) Any person who, without reasonable cause, contravenes any provision of this Act for the contravention of which no penalty is provided for in this section shall be punishable with fine which may extend to ten rupees.
- (5) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1898 (5 of 1898), an offence under this section shall be tried summarily by a Magistrate
- 24. Power to compound offences—(1) Subject to such conditions as may be prescribed, any officer authorised by the Chief Registrar by a general or special order in this behalf may, either before or after the institution of criminal proceedings under this Act, accept from the person who has committed or is reasonably suspected of having committed an offence under this Act, by way of composition of such offence a sum of money not exceeding fifty rupees.
- (2) On the payment of such sum of money, such person shall be discharged and no further proceedings shall be taken against him in respect of such offence.
- 25. Sanction for prosecution—No prosecution for an offence punishable under this Act shall be instituted except by an officer authorised by the Chief Registrar by general or special order in this behalf.
- 26. Registrars and Sub-Registrars to be deemed public servants—All Registrars and Sub-Registrars shall, while acting or purporting to act in pursuance of the provisions of this Act or any rule or order made thereunder be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code (45 of 1860).
- 27. Delegation of powers—The State Government may, by notification in the Official Gazette, direct that any power exercisable by it under this Act (except the power to make rules under section 30) or the rules made thereunder shall, subject to such conditions, if any, as may be specified in the direction, be exercisable also by such officer or authority subordinate to the State Government as may be specified in the direction.
- 28. Protection of action taken in good faith—(1) No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Government, the Registrar-General, any Registrar, or any person exercising any power or performing any duty under this Act for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any rule or order made thereunder.

- 21 जन्म या मृत्यु के सम्बन्ध में इत्तिला अभिष्ठाप्त करने की रिजिस्ट्रार की शक्ति —रिजिस्ट्रार किसी व्यक्ति से. या तो मौखिक या लिखित रूप से. यह अपेक्षा कर सकेमा कि जिस परिकेट में वह व्यक्ति निवास करता है उसमें हुए जन्म या मृत्यु सबंधी कोई इतिला जो उसे है. वह उसे ये थीर वह व्यक्ति ऐसी अपेक्षा का असपालन करने के लिए आबद्ध होगा ।
- 22. निदेश देने की शक्ति— केन्द्रीय सरकार किसी राज्य सरकार को ऐसे निदेश दे सकेगी जो इस अधिनियम के या तदधीन यनाए गए किसी नियम या किए गए किसी आदेश के उपबंधों में से किसी का उस राज्य में निष्पादन करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों।
  - 23 शास्तियां--(1) कोई व्यक्ति जो--
  - (क) धारा 8 ग्रीर 9 के किन्हीं उपबंधों के अधीन ऐसी इतिला, जिसे देना उसका कर्तव्य है, देने में युक्तिश्वत कारण के बिना असफल रहेगा: अथवा
  - (ख) जन्म और मृत्यु के किसी रिजिस्टर में लिख जाने के प्रयोजन से कोई ऐसी इतिला देगा या दिलवायगा जिसे बहु जानता है या विश्वास करता है कि वह उन विशिष्टियों में से किसी के बारे में मिथ्या है जिन्हें जानना और जिनका रिजिस्ट्रीकृत किया जाना अपेक्षित है ; अथवा
  - (ग) धारा ।। हारा अपेक्षित रूप से रजिस्टर में अपना नाम, वर्णन और निवास-स्थान लिखने या अपना अपरूट-चिह्न लगाने से इंग्कार करेगा, वह जुमनि से, जो पचास रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।
- (2) कोई रजिस्ट्रार या उपरजिस्ट्रार जो अपनी अधिकारिता में होने वारी किसी जन्म या मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण में या धारा 19 की उपधारा (1) हारा अपेक्षित विवरणियां भेजने में उपेक्षा या उससे इन्कार युक्तियुक्त कारण के दिना करेगा वह जुर्माने से जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।
- (3) कोई चिकित्सा-व्यवसायी, जो धारा 10 की उपधारा (3) के अधीन प्रमाणपत्न देने में उपेक्षा या उसने इन्कार करेगा और कोई व्यक्ति जो ऐसर प्रमाण-पत्न परिदक्त करने में उपेक्षा या उसरो इन्कार करेगा वह जुमीने से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।
- (ा) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के किसी ऐसे उपबंध का, युनिनय्वत कारण के विना, उल्लंधन करेगा, जिसके उल्लंधन के लिए इस धारा में किसी णास्ति का उपबंध नहीं है, वह ज्याने से, को दय रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।
- ( ১) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अक्षीन अपराध का विचारण मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षेपतः किया जाएना ।
- 24. अपराधों के प्रशमन की शक्ति——(1) ऐसी लतों के अध्यक्षीन रहते हुए, जो विहित की जाएं मुख्य रिजिस्ट्रार हारा, साधारण या विशेष आदेश हारा, इस निमित्त प्राधिकृत गोई अधिकारी इस अधिनयम के अधीन किन्हीं दाण्डिक कार्यवाहियों के स्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात्, किसी व्यक्ति से, जिसने इस अधिनयम के अधीन कोई अपराध किया हो या जिस पर अपराध करने का युक्तियुक्त संदेह हो, उस अपराध के प्रशमन के तौर पर प्रचास स्पए से अनिधिक धनराणि प्रतिगृहीत कर सकेगा।
- (2) ऐसी धनराणि दे देने पर वह व्यक्ति उत्मोचित कर दिया जाएका और ऐसे अपराध की बावत उसके विरुद्ध कोई आगे कार्यवाही नहीं की जाएकी।
- 25. अभियोजन के लिए मंजूरी--इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए कोई अभियोजन, मुख्य रिजस्ट्रार द्वारा, साधारण या विकेष आदेण हारा, इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ही संस्थित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।
- 26. रजिस्ट्रारों और उपरजिस्ट्रारों का लोक सेवक समझा जाना—मधी रजिस्ट्रार और उपरजिस्ट्रार, जब वे इस अधिनियम् या तद्धीन बनाए गए किमी नियम या किए गए किसी आदेण के उपर्वक्षों के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या कार्य करते तान्पयित हो, भारतीय दण्ड मंहिता (1860 का 18) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जाएंगे।
- 27. शक्तियों का प्रत्यायोजन—स्वाप्त सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिभूचना द्वारा,यह निदेश दे सकेगी कि इस अधि-नियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन उसके हास प्रयोवनव्य कोई शक्ति (जो धारा 30 के अधीन नियम बनाने की शक्ति में निध्य हो) ऐसी शक्षी के, यदि कोई हो, जो निदेश में विनिद्धित्य की जाएं, अध्यक्षीन रहते हुए, राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा और जो निदेश में विनिद्धित किया जाए, प्रयोक्तव्य होंगी।
- 28. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए परिवाण--(1) इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए किसी आदेण के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशियत किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभिन्योजन या अन्य विधिक कार्यवाही सरकार के, महार्राजस्ट्रार के, किसी राजस्ट्रार के, या किसी अन्य व्यक्ति के, जो इस अधिनियम के अधीन किसी शवित का प्रयोग या किसी कर्तव्य का पालन कर रहा हो, विरुद्ध न होगी।

- (2) No suit or other legal proceeding shall lie against the Government for any damage caused or likely to be caused by anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any rule or order made thereunder.
- 29. Act not to be in derogation of Act 6 of 1886—Nothing in this Act shall be construed to be in derogation of the provisions of the Births, Deaths and Marriages Registration Act, 1886.
- 30. Power to make rules -(1) The State Government may, with the approval of the Central Government, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the purposes of this Act.
- (2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing provision, such rules may provide for -
  - (a) the forms of registers of births and deaths required to be kept under this Act:
  - (b) the period within which and the form and the manner in which information should be given to the Registrar under section 8;
  - (c) the period within which and the manner in which births and deaths shall be notified under sub-section (1) of section 10:
  - (d) the person from whom and the form in which a certificate as to cause of death shall be obtained:
    - (c) the particulars of which extract may be given under section 12:
  - (f) the authority which may grant permission for registration of a birth or death under subsection (2) of section 13;
    - (g) the fees payable for registration made under section 13:
    - (h) the submission of reports by the Chief Registrar under sub-section (4) of section 4:
  - (i) the search of birth and death registers and the fees payable for such search and for the grant of extracts from the registers;
  - (j) the forms in which and the intervals at which the returns and the statistical report under section 19 shall be furnished and published.
    - (k) the custody, production and transfer of the registers and other records kept by Registrars:
    - (1) the correction of errors and the cancellation of entries in the register of births and deaths;
    - (m) any other matter which has to be, or may be, prescribed.
- <sup>1</sup>[(3) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the state Legislature.]
- 31. Repeal and saving—(1) Subject to the provisions of section 29, as from the coming into force of this Act in any State or part thereof, so much of any law in force therein as relates to the matters covered by this Act shall stand repealed in such State or part, as the case may be.
- (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken (including any instruction or direction issued, any regulation or rule or order made) under any such law shall, in so far as such thing or action is not inconsistent with the provisions of this Act, be deemed to have been done or taken under the provisions aforesaid, as if they were in force when such thing was done or such action was taken, and shall continue in force accordingly until superseded by anything done or any action taken under this Act.
- 32. Power to remove difficulty It any difficulty arises in giving effect in a State to the provisions of this Act in their application to any area, the State Government may, with the approval of the Central Government, by order make such provisions of give such directions not inconsistent with the provisions of this Act as appears to the State Government to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no order shall be made under this section in relation to any area in a State after the expiration of two years from the date on which this Act comes into force in that area.

<sup>1.</sup> Ins. by Act 4 of 1986, s. 2 and Schedule (w.e.f. 15-5-1986).

- (2) कोई भी बाद या अस्य विधिक कार्यवाती इस अधिनियम या तद्वीन बनाए गए किसी नियम या किए। गए किसी वादेश में अनुसुरण में सुदक्षायपूर्वक की गई या की वासे में लिए अध्ययित किसी बात से हुए या होते से समाध्य विसी नुकसान के लिए सरकार के विस्त नहीं होगी।
- 29. इस अधिनियम का 1886 के अधिनियम संस्थांक 6 के अल्पोकरण में न होना—-इस अधिनियम की रिस्ती बात का यह अर्थनही लगाया जाएगा कि वह जन्म, मृह्य और विवाह राजिस्ट्रोकरण अधिनियम. 1886 के उपवंधी के अल्पीकरण में हैं 1
- 30. नियम बनाने की शक्ति——( । ) केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनी को कार्यान्वित करने के लिए नियम, शासकीय राजपत में अधिस्वना हारा, बना सकेंगी ।
- (2) विशिष्टतः और पूर्वगामी उपर्धंध की व्यापकता पर प्रतिकृत प्रभाव डाले विना, ऐसे निषम निम्नलिखित के लिए उपर्धंध कर सकेंगे---
  - (क) इस अधिनियम के अधीन रखे जाने के लिए अपेक्षित जन्म ग्रीर मृत्य के रजिस्टरों के प्रथप :
  - (ख) वह कालावधि जिसके भीतर तथा वह प्रध्य और रीति जिसमें रजिस्ट्रार को धारा ৪ के अधीन इत्तिला दी जानी चाहिए;
  - (ग) वह कालावधि जिसके भीतर श्रोर वह रीति जिससे धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन जन्म श्रोर मृत्यु की सूचना वी जाएगी;
    - (घ) वह व्यक्ति जिससे और वह प्रध्य जिसमें मृत्यु के कारण का प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किया जाएगा ;
    - (उ) वे विशिष्टियां जिनका उद्धरण धारा 12 के अधीन दिया जा सकेगा ;
  - (च) वह प्राधिकारी जो धारा 13 वी उपधास (2) के अधीन जन्म या मृह्यु के रजिस्ट्रीकरण ।। अनुजा दे सकेगा;
    - (छ) धारा 13 के अधीन किए गए रजिस्ट्रीकरण के लिए सदेय फीसें ;
    - (ज) धारा । की उपधारा (4) के अधीन मुख्य रिजस्ट्रार द्वारा रिपोर्टी का प्रस्तन किया जाना ;
  - (अ) जन्म और मृत्यु के रजिस्टरों की तलाणी और ऐसी तलाणी के लिए तथा रजिस्टरों में से उन्नरण दिए जाने के लिए फीसें;
  - (া) वे प्ररूप जिनमें और वे अन्तरात जिन पर विवरणियां और सांस्थिकीय रिपोर्ट धारा । 9 के अधीन दी और प्रकाणित की जाएगी ;
  - (ट) रजिस्ट्रारीकारा रखे जाने वाले रजिस्टरी स्रोर अन्य अभिलेखों की अभिरक्षा, उनका पेण किया जाना स्रोर अन्तरक:
    - . (ठ) जन्म श्रोर गृत्यु के रजिस्टर में गलियों को ठीक करना श्रीर उनकी प्रविष्टियों को रह करना ;
    - (इ) कोई अन्य विषय को विहित किया जाना है या किया जाए।
- '[(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाणीद्य, राज्य विज्ञान-मंडन के समक्ष रखा जाएगा । ]
- 31. निरसन और व्यावृत्ति——(1) क्षारा 29 के उपबन्धों के अध्यक्षीन रहते हुए यह है कि किसी राज्य या उसके भाग में प्रवृत्त विधि का उतना ग्रंण, जितने का संबंध इस अधिनियम के अन्तर्गत विषयों से है, उस राज्य या भाग में इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के समय से, यथास्थिति, उस राज्य या भाग में निरसित हो जाएगा।
- (2) ऐसे निरमन के होते हुए भी, ऐसी किसी विधि के अधीन की गई कोई वात या कार्रवाई (जिसके अन्तर्गत, निकाला गया कोई अनुदेण या निदेण, बनाया गया कोई विनियम या नियम या किया गया कोई आदेश भी है), जहां तक ऐसी बात या कार्रवाई इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, पूर्वाक्त उपबन्धों के अधीन ऐसे की गई समझी जाएगी मानो वे उस समय प्रवृत्त थे जय यह बात या कार्रवाई की गई थी और तदनुसार तब तक प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक वह इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या कार्रवाई दीरा अतिष्टित न कर दी जाए।
- 32. कठिनाई दूर करने की शक्ति—-यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को किसी राज्य में प्रभावशील करने में कोई कठिनाई, उनके किसी क्षेत्र में लागू करने में उद्भूत होती है तो केट्यीय सरकार के अनुमोदन से, आदेश द्वारा, राज्य सरकार ऐसे उपबन्ध कर सकेगी या ऐसे निदेश दे सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए राज्य सरकार को आवश्यक या समीचीन अनीत हों:

गरन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश किसी राज्य के किसी क्षेत्र के संबंध में उस नारीख से, जब यह अधिनियम उस क्षेत्र में प्रवृत्त हो, दो वर्ष के अवसान के पश्चात महो किया जाएगा।

<sup>ा. 1986</sup> के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 और अनुसूची हारी (15-5-1986 से) जंगस्थापित।

#### ENFORCEMENT OF ACT

- 1. This Act came into force in the following areas w.e.f. 1-4-1970; vide Notification No. G.S.R. 514, dated 21-3-1970; Gazette of India, Extraordinary, Pt. 11. Sec. 3(i), p. 377;
  - (1) The whole State of Assam except :-
    - (1) the district of United Khasi & Jaintia Hills excluding the areas comprised within the limits of-
      - (a) Municipality of Shillong;
      - (b) Cantonment of Shillong:
    - (ii) the entire district of Garo Hills:
    - (lit) the entire district of United Mikir and North Cachar Hills:
    - (iv) the entire district of Mizo Hills
  - (2) The whole of the State of West Bengal except -
    - (i) the area comprised within the limits of the Corporation of Calcuta:
    - (ii) the area comprised within the limits of Howrah Municipality:
    - (iii) Fort William: and
    - (iv) the area comprised within the limits of the cantonments of Barrackpore, Lebong and Jalapahar.
- 2. The Act came into force in the whole of the following States and Union territories w.e.f. 1-4-1970; ride Notification No. G.S.R. 461, dated 7-3-1970, Gazette of India, Pt. II, Sec. 3(i), p. 966 :—

#### STATES

1.	Andhra Pradesh	8.	Mysore
2.	Bihar	9.	Orissa
3.	Gujarat	10,	Punjab
4.	Haryana	11.	Rajasthan
5.	Kerala	12.	Tamil Nadu
6.	Madhya Pradesh	13.	Uttar Pradesh
7.	Maharashtra		

#### UNION TERRITORIES

- Chandigarh
   Dadra and Nagar Haveli
   Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands.
- 3 The Act came into force in the whole of the Union territory of Delhi w.e.f. 1-7-70; vide Notification No. G.S.R. 973 dated 26-6-1970, Gazette of India, Extraordinary, Pt. II, Sec. 3(i). p. 585.
- The Act came into force in the following areas in the States of Jammu and Kashmir w.e.f. 1-10-1970; vide Notification No. G.S.R. 1718, dated 22-9-1970. Gazette of India. Extraordinary, Pt. 11. Sec. 3(n. p. 727):—
  - 1. The area comprised within the jurisdiction of the police station of Rannagar in Udhampur district.
  - 2. The area comprised within the jurisdiction of the police station of Kupwara in Baramulla district.
  - 3. The area comprised within the limits of Municipalities of Jammu and Srinagar,
  - 4. The area comprised within the limits of Town Area Committees of Ananatnag, Kathua and Leh.
- 5. The Act was extended to the State of Sikkini w.e.f. 13-9-76, vide Notification No. S.O. 3465, dated 21-9-76,

#### अधिनियम को लाग् होना

- -: 578 3P, (1)8 PEGE 3 PE PETER (1688) PPG 3 PEGE 14 PETE ा वर्ड आंशावता (बच्चील सेव) १-१-१-१०२० से इंच्ये हैं थी १ स्वित्वा सन्धार्थ वार्चेस (बच्च ११४) बार्चे उ.१-३-१०४७)
- में क्लार मानाह अपूर्ण प्राथनों के ठानीलील्फो (t)
- मुक्ती ,फिस्टी ग्रिडिंग प्रशिक्ष मिल्स निक्स (1)
- ; उत्रहाद्व ।क रक्षावास एक राक्षा उन्हों।कार व रक्षतीयारक स्वास्था (क)
- ्रक्रमात्र एक प्रितित एक प्रथम के विकास के विकास विकास (क)
- ्राप्तको ।हमुद्रम हिमा स्पूम् (।।)
- , रुष्टी इंद्रिप शहर १४तट १४८ उनीमी ठरूप गाएत (१।।)
- । हारी डिंगड्रा किसी एप्ट्रेंस (Vi)

प्राप्तः भएनोही अस (।।।)

- ---: म क्राएक मिक्सीए लपूनम् लाइसी क क्रिक्सिनकी (१)

- (१३) हावड़ा नगर पालिका म समावित्य क्षेत्र का सामाज का छाड़कर ; (1) कलकता निगम मे ममानिष्ट शह का मामात्रा का लाइक्र,
- । इक्शाह कि क्षिमाम कि हार उन्होंक्स में किनीहर हार्डक्रह अप गाहर (एक्टर्ड (ए))
- -: 886 %?, (i) g mppp 2 mpp 2 mpp (nearly leak), while 2 mpp 2 mppp (i) 4 % 9 % 9 % . र वह अभिनियम बिस्तिनिवित राज्या आर सब राज्याया व सर्वत जाग न । -५ -१०२० से प्रमुद्ध हैया. इंग्रिक्ट अस्मित्री संज्या

#### he12

HARALA SOCUMENTATION OF SHOOT STATES OF SHOOT SHOOT STATES OF SHOOT SHOOT STATES OF SHOOT SHOT SH
+tert
964-105

कामाहम .१ 6, मध्य प्रदेश 13, 347, 949! 5. मारल अभिलमाह 起始到1000年11 Intrefa T ELEEE T Elleh '01 2. विद्यार अध्यक्ष 7 HH .8 RER WIF J

#### सिंग राज्यासे

- एइस मिमानी स्
- 2. दादरा और नागर हबला । शृह किहिनाम् प्राप्त भारनीमी ,हिजिसम् क

20136h 'F

- १८६८ १७७०, भारत का नामन (अधन), समाधाण, नाम २ अनुभाग १ (१), पट ५८६-१-१-१-१ 3. यह अधिविष्ण नीज दिल्ही सेल राश्तीत में 1-7-1970 में घल्ल हैंगा, देशिय अभिविष्ण संभारण कार्या किया 973, रार्पिक
- -: ७२८ ७०१ (१) ६ मामन , माम , फानायाम , (गियार) , माम ३०१० । १०१ १-१-१० । 🔩 यह अधिनियम जन्म-एक्मीर राज्य में 1-10-1970 में मिनिनियित क्षिय में प्रवृत हुआ; ेरिक्प अधिनुचना से० साजारण कानूनी मित्रम 1718
- 1. उग्रमपुर जिले में रामनगर पुलिस स्टमन को अधिकारिता में भभविष्ट राच ।
- 2. बारामूला जिले म बन्दारा प्रिय स्ट्यान का अधिकारिता म समाविन्ट धन्न ।
- म सिमित के किन उन्होमि में सिकिशीएरफ प्राफार प्रिंग मुग्छ क्.
- । में (सामां) कि कर उन्हो। मुप्त में (धनीमी । अहं किहार कि देश रिक्ष कि अपना का विकास कि
- 1 94-6-17 क्यान 'इनके अध्यक्ष स्थेतक वह तम्मेनाह तेनाह । तित तिना प्रति किन्न मिल्ला व निव्यति । व विकास विवास

(३) प्रकाशन-निकल , नारत संभार, सिवित नाइंन्स, विल्ली-110054.